

कार्यालय-वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, उ०प्र०, गोण्डा।

पत्रांक- 887 /33-1, दिनांक गोण्डा, सितम्बर 13 /2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय:- जनपद गोण्डा में गोण्डा-उतरोला-डुमरियागंज मार्ग पर गोरखपुर कैंन्ट गोण्डा रेल सेक्शन के कि०मी० 654/5-6 बरूवाचक-गोण्डा रेलवे स्टेशन के मध्य लेविल कासिंग संख्या-257 सोनी गुमटी पर 04 लेन रेल उपरिगाभी ओवरब्रिज के संरेखण में प्रभावित 1.24014 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 177 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

(प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Approach/144323 /2021)


संदर्भ:- प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा का पत्रांक-1035/33-1, दिनांक 04.09.2021  
महोदय,

उपरोक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा के पत्रांक-1035/33-1, दिनांक 04.09.2021 द्वारा अवगत कराया कि जनपद गोण्डा में गोण्डा-उतरोला-डुमरियागंज मार्ग पर गोरखपुर कैंन्ट गोण्डा रेल सेक्शन के कि०मी० 654/5-6 बरूवाचक-गोण्डा रेलवे स्टेशन के मध्य लेविल कासिंग संख्या-257 सोनी गुमटी पर 04 लेन रेल उपरिगाभी ओवरब्रिज के संरेखण में प्रभावित 1.24014 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 177 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में आनलाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Approach /144323/2021, 04 प्रतियों में भेजा गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भाग-3 में टिप्पणी अंकित कर प्रस्ताव आनलाईन कर दिया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव 03 प्रतियों सी०डी० सहित मूल में संलग्न कर आपकी सेवा में सादर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:-प्रस्ताव 03 प्रतियों सी०डी० सहित मूल में।

भवदीय,



(डा० अनिरुद्ध पाण्डेय)

वन संरक्षक,

देवीपाटन वृत्त, उ०प्र०, गोण्डा।



पत्रांक- 887 /अ उक्त दिनांकित।


प्रतिलिपि:-प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा उनके पत्रांक-1035/33-1, दिनांक 04.09.2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(डा० अनिरुद्ध पाण्डेय)

वन संरक्षक,

देवीपाटन वृत्त, उ०प्र०, गोण्डा।





## भाग-iii

(संबन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका

संबन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि

नहीं

हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रक्षेपों को,

निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना

सहमत

और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

जनहित में कार्य आवश्यक हैं  
अतः संस्तुति की जाती है।

दिनांक- .....

स्थान- गोण्डा...

हस्ताक्षर

नाम- (डा० अनिरुद्ध पाण्डेय)

वन संरक्षक

सरकारी

गोण्डा वृक्ष गोण्डा